न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र. क्र. ..... संबंध विविध - 9016-I-16

रामस्वरूप पुत्र श्री नेहनेराम, जाति वैश्य, उम्र 58 साल, व्यवसाय– खेती निवासी– ग्राम विजयपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

—— **आवेदक**

बनाम

1. श्री गनेश प्रसाद शिक्षा संस्थान विजयपुर, जिला श्योपुर द्वारा वाईस प्रेसीडेन्ट पदम सिंह रावत पुत्र श्री इन्दरलाल रावत, निवासी ग्राम सुनवई, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)

2. अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना (म.प्र.)

—— **अनावेदक**

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म. प्र. भू–राजस्व संहिता</u>

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2012 के विरूद्ध लगभग ढाई वर्ष पश्चात् दिनांक 26.12.2014 को आवेदक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो कि प्रकरण क्रमांक 84/14–15 पर लम्बित है ।

(2) यह कि, उक्त अपील में अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्थान द्वारा धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन को माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा धारा 5 के आवेदन का निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया है । अपने आदेश दिनांक 23.06.2016 में यह उल्लेख किया है कि धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा जो कि न्यायोचित नहीं है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9016–एक/16 जिला–श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप कुमार शर्मा उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत विविध का आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा संहिता की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक श्री गणेश शिक्षा संस्थान द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश दिनांक 28.05.12 के विरूद्ध दिनांक 26.12.14 को अपील प्रस्तुत की गई और साथ ही धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिस आवेदन पत्र का निराकरण अपर आयुक्त द्वारा नहीं किया गया । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन क्रमांक 4444/2016 आदेश दिनांक 30.06.2016 को राजस्व मण्डल को प्रकरण सुनवाई में लेकर निराकरण करने हेतु आदेश किया गया । अतः प्रकरण में सर्वप्रथम संहिता की धारा 5 अवधि के आवेदन पत्र का निराकरण किये जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार प्रकरण सुनवाई उपरांत निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया। 3/ मैंने आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत	

प्रमाणित दस्तावेज का अवलोकन किया । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने रिट पिटीशन क्रमांक 4444/2016 आदेश दिनांक 30.06.2016 को न्यायालय राजस्व मण्डल को यह आदेशित किया गया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल में पदस्थ अध्यक्ष/सदस्य द्वारा सुनवाई उपरांत प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये। प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा संहिता की धारा 29 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने एवं अवधि विधान की धारा 5 का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि संहिता की धारा 5 अवधि के आवेदन का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जावेगा, जो कि न्यायोचित नहीं है। अपर आयुक्त को धारा 5 के आवेदन का निराकरण करना चाहिये ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि संहिता की धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का निराकरण करते हुये हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे । ताकि हितबद्ध पक्षकार न्याय से वंचित न हो जाये । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य